... मूल वाद
प्रा० पत्र 212 R.T. Act

बहस सुनी गई। बाद प्रार्थना पत्र वास्ते आदेश दिनांक 21.7.23 पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
कोटपूतली (जयपुर)

21.7.23 पत्रावली आज पेश हुई। उभय पक्षों की पूर्व में सुनी गई बहस के कथनों पर गौर किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। प्रश्नगत भूमि के आवंटन भू-खण्ड जिनकी हद हदूद [illegible] है। जिनका खाई [illegible] विवादित है। वाद वादीगण द्वारा लाया गया है तथा रास्ता के लिए अनुतोष चाहा है। उक्त दोनों तथ्यों में सुनवाई का अधिकार माननीय सिविल कोर्ट को है। इसलिए क्षेत्राधिकार के अभाव में दावा चलने योग्य नहीं है। तथा वादी का वाद प्राईमाफेसी (प्रथम दृष्टया) [illegible] नहीं है तथा ना ही

उपखण्ड अधिकारी
कोटपूतली (जयपुर)

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली

शांति बनाम मु.सा. कौर

संख्या /वर्ष 51/2023 प्रा०पत्र 212 R.T. Act /20

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	वादिनी रिकॉर्ड खातेदार है। वादिनी का वाद धारा 188 R.T. Act 1955 के अन्तर्गत खसरों के पेटे होने के कारण सारहीन होने से खारिज किया जा चुका है, तो बटवारा-पत्र 212 R.T. Act 1955 चलने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। अतः उपरोक्त विवेचना अनुसार बटवारा-पत्र सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 21.7.23 को सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली (जयपुर)	